

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं० : 152/2017

अनवान :

1. मायादेवी पत्नी श्री रूलीराम जाति नाई निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादिया

बनाम

1. लीलूराम पुत्र नरसीराम जाति नाई निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुमन पत्नी धर्मवीर जाति नाई निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।
3. चन्द्रो पत्नी रामकुमार जाति नाई निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।
4. बिमला पत्नी जसवन्त जाति नाई निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राज० काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री सुभाषचन्द्र शर्मा : वादिया

निर्णय

दिनांक : 12.06.2018

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 3 सीएचएन पटवार हल्का छानीबड़ी के खाता सं० 60/64 के मु०नं० 6 के किला नं० 3 की 0.253 है० जिसमें गै०मु० खाला 0.025 है० किला नं० 8 की 0.253 है० किला नं० 13/2 की 0.126 है० कुल कित्ता 3 की 0.6320 है० जिसमें नहरी 0.6070 है० व गै०मु० खाला 0.025 है० नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त समस्त कृषि भूमि वादिया एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 के नाम संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है।

उपरोक्त कृषि भूमि में वादिया का 0.155 है० तथा प्रतिवादी सं० 1 का 0.208 है० प्रतिवादी सं० 3 का 0.506 है० प्रतिवादी सं० 3 व 4 का संयुक्त रूप से 0.013 है० हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।


विवादित कृषि भूमि का वादिया एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 के मध्य उनके हक व हिस्से के अनुसार अच्छी मे से अच्छी व मंदी में से मंदी के हिसाब से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस जोत विभाजन किया जाकर विभाजित कृषि भूमि का लगान व माल अलग से कायम किया जावे एवं अलग से कब्जा सम्पुष्ट किया जावे।

तहसीलदार राजस्व भादरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी एवं विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया, अब तहसीलदार भादरा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है जिस पर पक्षकारान को सुना गया, कोई आपत्ति/एतराज प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

1. सुमन पत्नि धर्मवीर कौम नाई सा० छानीबड़ी खातेदार के पास : चक 3 सीएचएन के मु०नं० 6 के किला नं० 3 की 0.253 है० जिसमें नहरी 0.228 है०, खाला 0.025 है०, किला नं० 8/1 की 0.013 है० जिसमें नहरी 0.01235 है० व रास्ता 0.00065 है० किता 2 रकबा 0.266 है० जिसमें नहरी 0.24035 है० खाला 0.025 है० रास्ता 0.00065 है०
2. माया देवी पत्नि रूलीराम कौम नाई सा० छानीबड़ी खातेदार के पास : चक 3 सीएचएन के मु०नं० 6 के किला नं० 8/2 की 0.152 है० जिसमें नहरी 0.144 है० रास्ता 0.008 है०
3. लीलुराम वल्द नरसीराम कौम नाई सा० छानीबड़ी खातेदार के पास: चक 3 सीएचएन के मु०नं० 8/3 की 0.088 है० जिसमें नहरी 0.08065 है० रास्ता 0.00735 है० किला नं० 13/2 की 0.113 जिसमें नहरी 0.1070 है० व रास्ता 0.006 है० कुल किता 2 रकबा 0.201 है० जिसमें नहरी 0.18765 व रास्ता 0.01335 है०
4. चन्द्रो पत्नि रामकुमार विमला पत्नि जसवन्त कौम नाई सा० छानीबड़ी के पास : चक 3 सीएचएन के मु०नं० 6 के किला नं० 13/3 की 0.013 है० जिसमें नहरी 0.01235 है० व रास्ता 0.00065 है०

यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन यथावत् रखा जावे एवं उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं० : 152/2017

अनवान :

1. मायादेवी पत्नी श्री रूलीराम जाति नाई निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादिया

बनाम

1. लीलूराम पुत्र नरसीराम जाति नाई निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुमन पत्नी धर्मवीर जाति नाई निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।
3. चन्द्रो पत्नी रामकुमार जाति नाई निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।
4. बिमला पत्नी जसवन्त जाति नाई निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादिया श्री सुभाषचन्द्र शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादिया अंतिम डिक्री किया जाता है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

1. सुमन पत्नि धर्मवीर कौम नाई सा० छानीबड़ी खातेदार के पास : चक 3 सीएचएन के मु०नं० 6 के किला नं० 3 की 0.253 है० जिसमें नहरी 0.228 है०, खाला 0.025 है०, किला नं० 8/1 की 0.013 है० जिसमें नहरी 0.01235 है० व रास्ता 0.00065 है० किता 2 रकबा 0.266 है० जिसमें नहरी 0.24035 है० खाला 0.025 है० रास्ता 0.00065 है० —
2. माया देवी पत्नि रूलीराम कौम नाई सा० छानीबड़ी खातेदार के पास : चक 3 सीएचएन के मु०नं० 6 के किला नं० 8/2 की 0.152 है० जिसमें नहरी 0.144 है० रास्ता 0.008 है०
3. लीलूराम वल्द नरसीराम कौम नाई सा० छानीबड़ी खातेदार के पास: चक 3 सीएचएन के मु०नं० 8/3 की 0.088 है० जिसमें नहरी 0.08065 है० रास्ता — 0.00735 है० किला नं० 13/2 की 0.113 जिसमें नहरी 0.1070 है० व रास्ता — 0.006 है० कुल किता 2 रकबा 0.201 है० जिसमें नहरी 0.18765 व रास्ता — 0.01335 है० —
4. चन्द्रो पत्नि रामकुमार विमला पत्नि जसवन्त कौम नाई सा० छानीबड़ी के पास : चक 3 सीएचएन के मु०नं० 6 के किला नं० 13/3 की 0.013 है० जिसमें नहरी — 0.01235 है० व रास्ता 0.00065 है०

यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन यथावत् रखा जावे एवं उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(राजकुमार कस्वा)

उपखण्ड अधिकारी R.A.S. कस्वा
उपखण्ड अधिकारी (न्याय)
भादरा, जिला हनुमानगढ़